प्र.सं. 66 / 2013
प्रार्थना पत्र 4–5–6 एमएसडी काश्तकारान बनाम सरकार
जीसीएमएस : 2013 / 00300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
23.02.2021	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण कृष्ण कुमार पूनियां आदि काश्तकार 4–5–6 एमएसडी ने न्यायालय उपजिलाधीश एवं पदेन भूमि अवाप्ति अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत रेलवे क्रांसिंग से करड़वाली ग्राम तक ग्रेफ द्वारा निर्मित सड़क के 41 1/2 फुट भूमि सड़क के दोंनो ओर की भूमि को डी एक्वायर करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्रेफ ने सेना के किसी कार्य के लिए मसानीवाला रेलवे क्रासिंग से ग्राम करडवाली तक 100 फुट चौड़ी सडत्रक के लिए प्रार्थीगण की भूमि चक 4 एमएसडी 5 एमएसडी 6 एमएसडी में पहले से चल रही सड़क के दानों और 41 1/2 फुट भूमि यानि कुल 100 फुट चौड़ी सड़क निर्मागण हेतु इस कर्यालय के माध्यम से सन् 1991–92 में कार्यवाही चालू करके इस सडत्रक का निर्माण 2000 में पुरा किया था। परन्तु किन्हीं अज्ञात कारणवश सेना को इस सडक के माध्यम से अपनी कोई योजना यहां स्वीकृत नहीं होने के कारण सेना ने ग्रेफ के माध्यम से इस सडक को सार्वजनिक निर्माण विभांग को दिनांक 31.09.2009 को वापस सुपुर्द कर दी। यह सड़क करड़वाली गांव से आगे रायसिंहनगर तक पक्की बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई करड़वाली गांव से रायसिंहनगर तक 16 1/2 फुट ही हैं। इस तरफ से महज प्रार्थीगण के दो फसली उपजाउ भूमि जिसका उपयोग जिस हेतु के लिए लिया गया, वह हेतु समाप्त होने के कारण भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार सड़क के दानों ओर को डी एक्वायर किये जाने का आदेश फरमाया जावे जो न्यायसंगत एवं कानूनी प्रावधान के अन्तर्गत आता हैं। अतः करड़वाली के रेलवे क्रासिंग मसानीवाला तक सड़क के दानों तरफ 41 1/2 फुट भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार डी एक्वायर किये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्व हाजिर नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। शपथ पत्र प्रार्थीगण पेश हुए जिन पर ब्यान दर्ज किये जाकर दस्तावेज प्रदर्श किये गये। तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट ली गयी। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर क्रमांक / राजस्व / 2019 / 1145 दिनांक [illegible] 2019 के अनुसार चक 6 एमएसडी [illegible] 82, 96, 103 के कि.नं 5–6715–16–25 [illegible] में 0.076हे. (49.50 फीट) व मु.नं. 8, 10, 32, 38, 49 59, 70, 81, 97, 102 के कि.नं. 1–10–11–20–21 प्रत्येक कि.नं. में 0.076हे. (49.50 फीट) पक्की सड़क ईकाई ग्रेफ 56 एपीओ दर्ज हैं। चक 5 एमएसडी के मु.नं. 5, 12, 18, 25 के प्रत्येक कि.नं.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:28:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

प्र.सं. 66/2013

प्रार्थना पत्र 4–5–6 एमएसडी काश्तकारान बनाम सरकार

जीसीएमएस : 2013/00300

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
	1–10–11–20–21 में 0.076है. 33 के कि.नं. 10–11–20–11 में 0.016, मु.नं. 36–42 के कि.नं. 1–10–11–20–21 में 0.076है., इसी प्रकार मु.नं. 13–17–26 में 0.076है. सड़क मु.नं. 32 के कि.नं. 1 ता 5, कि.नं. 5 से 25 व मु.नं. 37 के कि.नं. 5–6–15–16–25 प्रत्येक में 0.076है.(49.50 फीट) सडक(पक्की सडक ग्रेफ) मंजुर शुदा हैं। इसी प्रकार मु.नं. 41 कि.नं. 5/0.076, 6/0.076, 15/0.101, 16/0.139, 25/0.051 मु.नं. 42 के कि.नं. 1–10–11 प्रत्येक में 0.076 कि.नं. 20/0.075, 21/0.114 मु.नं. 44 के कि.नं. 20/0.038, 21/0.101 मु. नं. 48 कि.नं.1/0.051, 2/0.126, 8/0.127, 9/0.051, 13/050, 14/0.126, 16/0.127, 17/0.051, 25/0.050 कुल 0.759है. सडक मंजुर हैं। उक्त सड़क राजस्व रिकार्ड में 100 फीट स्वीकृत हैं। परन्तु मौके पर 16.50 फीट सडक निर्मित है व चालू हैं। उक्त संबंधित काश्तकार 16.50 फीट सडक छोडते हुए शेष भूमि डी एक्वायर करवाना चाहते हैं। मौके पर 16.50 फीट सडक को छोड़कर शेष भूमि पर काश्तकार खेती करते हैं। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्ति के अवार्ड की प्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं। जिसके अवलोकन अनुसार भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत की गयी हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र द्वारा उक्त अवाप्तशुदा भूमि को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत डी एक्वायर करने का अनुतोष चाहा हैं। परन्तु भूमि अर्जन अधिनियम 1894 एवं भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत भूमि को डी एक्वायर करना न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Arpita Soni Date: 2021.05.17 12:28:01 IST Reason: SelfAttested (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Scanned by CamScanner